

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,

उ0प्र0शासन ।

आईटी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2

लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2004

विषय:- कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-08/ 78-आईटी0-2001, दिनांक 12 सितम्बर, 2001 द्वारा विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषद तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 2001 में यू0पी0डेस्क, यू0पी0एल0सी0 तथा निक्सी को कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकृत किया गया था। उक्त शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 2001 में संशोधन कर शासनादेश संख्या-174/ 78-2-2004-25 आईटी0 / 2001, दिनांक 17 फरवरी, 2004 द्वारा इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 को भी कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकृत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-08/ 78-आईटी0-2001 दिनांक 12 सितम्बर, 2001 के प्रस्ताव-2 के उप-प्रस्ताव 'ख' में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निगम, निकाय, परिषद तथा स्वायत्तशासी निकाय कम्प्यूटर क्रय हेतु अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 तथा श्रीट्रान इण्डिया लि0 को भी क्रयदेश दे सकेंगे।

3- शासनादेश संख्या-08/ 78-आईटी0-2001 दिनांक 12 सितम्बर, 2001 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,
(नवीन चन्द्र बाजपेई)
प्रमुख सचिव।

9174
28/9/04

-2-

संख्या-785(1)/ 78-2-2004 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/ सचिव ।
- 2- निर्जी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन ।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र० ।
- 5- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 7- राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ ।
- ✓ 8- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एल०सी०/ यू०पी०डेस्क, लखनऊ ।
- 9- उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/ श्रीट्रान इण्डिया लि०, शाहिबाबाद, गाजियाबाद, उ०प्र० ।
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
अशोक कुमार
(अशोक कुमार)
उपसचिव ।